

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31487-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान, परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा २४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की धारा २४ के परन्तुक में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(एक क) ऐसा व्यक्ति, जो विषम चिकित्सीय (एलोपैथिक) औषध पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं या केन्द्रों में पदस्थ हो और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित आयुर्वेदिक पद्धति और यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) के अधीन उपबधित प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक आयुर्विज्ञान, जो “एलोपैथी” के नाम से भी जानी जाती है तथा अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं का औषध-निर्देशन करने के लिए पात्र होगा और विषम चिकित्सा औषधियों (एलोपैथिक मेडिसिन्स) का औषध-निर्देशन करने के लिए इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में चिकित्सा व्यवसायियों की कमी को दृष्टि में रखते हुए, यह विनिश्चित किया गया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा व्यवसायियों को, आधुनिक वैज्ञानिक औषध अर्थात् एलोपैथी में प्रशिक्षण देने के पश्चात् ऐसी स्वास्थ्य संस्थाओं और केन्द्रों में पदस्थ किया जाए और उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक वैज्ञानिक औषध में व्यवसाय करने के लिए उन्हें अनुज्ञात किया जाए. अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ५ दिसम्बर, २०१६

शरद जैन
भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19403-298-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 28 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016**

A Bill to amend the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.
- Amendment of Section 24.** 2. In Section 24 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), in the proviso, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) the persons posted in the Government health institutions or centers of allopathic system of medicine and possessing graduate degree in Ayurvedic system and Unani system included in Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970) and registered with the Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy and have undergone training specified by the Government, from time to time, shall also be eligible to prescribe medicines under modern scientific medicine which is also known as "allopathy" and such other medical procedures to the extent of training provided under the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), and shall not be punishable under this section for prescribing allopathic medicines;

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of shortage of medical practitioners in various health institutions and centers of the State, it has been decided to post Ayurvedic and Unani Medical practitioners in such health institutions and centers after giving them training in modern scientific medicine i.e. Allopathy and to allow them to practice modern scientific medicine to the extent of training received by them. Therefore, Section 24 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990) is proposed to be amended suitably.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 5th December, 2016.

SHARAD JAIN
Member-in-Charge.